न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
ए.बी.पी.न0–4806 / 2025
मकेर थाना कांड सं0–83 / 2025

रामदेव सिंह वगैरह **बनाम्** **बिहार राज्य**

07.03.2026 आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः 1. रामदेव सिंह 2. रंधीर कुमार सिंह उर्फ अनील सिंह 3. निकिता कुमारी उर्फ ज्योति कुमारी एवं 4. रेणु देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–4806/2025, मकेर थाना कांड संख्या 83/2025, अंतर्गत धारा 126(2),115(2),109,352,3(5) भा0न्या0सं0 में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विजयेन्द्र कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.04.2025 को समय शाम चार बजे सूचक अपने दरवाजे पर बैठा था तभी सूचक का भाई रविन्द्र सिंह, अनिल सिंह, प्रभुनाथ सिंह और रामदेव सिंह और राजेन्द्र सिंह, रोहित कुमार, लिप्सी देवी, रेणु देवी, ज्योति कुमारी एक साथ आए और सभी के हाथ में धारदार हथियार के साथ आये और गाली–गलौज करते हुए सूचक को रविन्द्र सिंह और राजेन्द्र कुमार चाकू से वार किया। जिससे सूचक का सर कट गया। सूचक को बचाने उसका पुत्र अमित कुमार और पत्नी आई तो सभी लोग मारने लगे। सूचक की पत्नी को ज्योति कुमरी रॉड से मारने लगी जिससे सूचक की पत्नी का सर फट गया। सभी मिलकर सूचक के सभी परिवार को मारने लगे।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदकगण की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को जमीनी विवाद के कारण फंसाया गया है। उभय पक्ष के बीच काउंटर केस संस्थित है। सूचक एवं रविन्द्र सिंह, अनील सिंह, प्रभुनाथ सिंह एवं रामदेव सिंह आपस में सगे भाई हैं और इनके बीच सम्पति का विवाद है। सह–अभियुक्त रोहित कुमार, रविन्द्र सिहं और प्रभुनाथ सिंह को एबीपी 2209/2025 द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदकगण का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी मकेर थाना कांड संख्या 83/2025, अंतर्गत धारा 126(2),115(2),109,352,3(5) भा0न्या0सं0 में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के

कंडिका–15 में जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन है। कंडिका–91 में आवेदकगण के आपराधिक इतिहास के सदंर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदकगण आपराधिक इतिहास नहीं है। निकिता कुमारी उर्फ ज्योति कुमारी को छोड़कर अन्य अभियुक्तगण पर मारपीट का एक समान आरोप लगाया गया है कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। चिकित्सक ने भी जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। निकिता कुमारीी उर्फ ज्योति कुमारी पर सूचक की पत्नी को रॉड से मारने का आरोप है जबकि उसके जख्म को चिकित्सक ने साधारण प्रकृति का पाया है। अन्य अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को निम्न शर्तों पर जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः 1. रामदेव सिंह 2. रंधीर कुमार सिंह उर्फ अनील सिंह 3. निकिता कुमारी उर्फ ज्योति कमारी एवं 4. रेणु देवी के द्वारा इस आदेश से 25 दिन के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार किये जाने पर उक्त आवेदक अभियुक्तागण को मो0 10,000/रु0 के बन्ध पत्र एवं उतने ही राशि के दो–दो प्रतिभुओं वाले बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 482(2) में उल्लिखित प्रावधानों एवं एक जमानतदार आवेदकगण का निकट संबंधी होगा, के शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।